

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1260/2023/10-11/2245 भोपाल, दिनांक 25-4-24
प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत डाबरी-कलकत्ता व्हाया लातरीटोला से माहुरदल्ली बोदालझोला तक मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट वन मण्डल की 11.76 हे. एवं उत्तर बालाघाट वन मण्डल की 3.96 हेक्टेयर कुल 15.72 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 18.488 हेक्टेयर) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/156088/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 021/2023 BHO दिनांक 13.02.2024

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

शर्त-A

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान ने गैर वनभूमि पर तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155435/2022 में राशि रु. 2,64,85,020/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 04.01.2024 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

साथ ही आवेदक संस्थान ने वनक्षेत्र (RDF) में तैयार 36.00 हेक्टेयर की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की 06 प्रकरणों की राशि रु. 1,34,43,364/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155435/2022 में दिनांक 04.01.2024 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में दी गई गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर का आदेश, फार्म पी-2 आदि की छायाप्रति संलग्न है।

3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 1,93,13,435/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 15.03.2024 को जमा की जा चुकी है।

5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में प्रकरण में गैर वनभूमि/वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि क्रमशः दिनांक 04.01.2024 एवं दिनांक 15.03.2024 को एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, बालाघाट का प्रमाण पत्र दिनांक 08.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में वन संरक्षक बालाघाट द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.03.2024 से प्रस्तावित मार्ग का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।

9- शर्त क्रमांक (9) के पालन में वन मण्डलाधिकारी दक्षिण बालाघाट एवं उत्तर बालाघाट ने प्रस्तावित स्थल का पुनः निरीक्षण कर अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग की जो KML file अपलोड की गई है, का मिलान कार्य आयोजना के अभिलेख, मानचित्र एवं फील्ड की स्थिति के अनुसार सही पाया गया है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

10- शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग के किनारे पूर्व से ही पेड़ लगे हुए हैं, इस कारण पेड़ लगाए जाना संभव नहीं है।

11- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण में खुदाई से निकलने वाली उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी को मार्ग के समतलीकरण में किया जावेगा। वनक्षेत्र में कहीं भी मलबे को नहीं डाला जावेगा, जिसका वचन पत्र संलग्न है।

12- शर्त क्रमांक (12) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 53727 है।

13- शर्त क्रमांक (13) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

14- शर्त क्रमांक (14) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

15- शर्त क्रमांक (15) के पालन में आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी करने के उपरांत आपको पृथक से प्रेषित की जावेगी।

शर्त-B

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

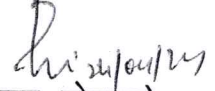
3— शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4— शर्त क्रमांक (4 से 16) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(एच.एस. मोहन्ता)

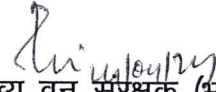
भोपाल, दिनांक 25-4-24

पृ. क्रमांक/एफ-5/1260/2023/10-11/2246

प्रतिलिपि:—

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, उत्तर बालाघाट/दक्षिण बालाघाट मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल